


प्रतिष्ठान 15.4.2024 - संख्या 9 मन्त्रालय
जम्मू एवं कश्मीर 179

24/9/2024

पत्रावली संख्या 34/ प्रकरण का कवचोक्त किया
गया। जम्मू की अदालत से संबंधित व्यक्तियों की
सहायता नहीं देने के प्राथमिकता का क्रियान्वयन
योग्य है। अतः प्राथमिकता का पूर्ण व्यक्तियों की
सहायता के अभाव में व्यक्तियों को प्राप्त है
पत्रावली के दल द्वारा एकत्र रखने के बाद
द्वारा अधिन दण्ड है।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

